मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010 (फाल्गुन 28, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, चंबल कंट्रोल बोर्ड से हुए समझौते के अन्तर्गत ग्रामों को गांधीसागर बांध से पेयजल हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पारस सकलेचा, सदस्य, दमोह नगर में खसरे के टीके लगाये जाने से चार बच्चों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य, सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में सतगुरू शिक्षा समिति द्वारा संचालित स्कूलों को बंद किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बिसाहूलाल सिंह, प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, सिवनी जिले में मालिक मकबूजा नीति के अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के खानूगांव में एक महाविद्यालय का नियम विरूद्ध संचालन किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य, राजगढ़ जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिंध नदी की पुलिया संकीर्ण होने से आवागमन अवरूद्ध होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री अरुणोदय चौबे, सदस्य, सागर जिले के ग्राम पड़रई निवासी एक परिवार पर प्राणघातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना न होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री अजय अर्जुन सिंह, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बरतरी में पुलिस कर्मियों द्वारा दलित महिला को जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, बरगी सिंचाई परियोजना से सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण न होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री श्रीकांत दुबे,सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम पंचायत दिया के आसपास चोरी की घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, इंदौर के सांवेर रोड स्थित कम्पनी से गैस रिसने से एक श्रमिक की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम सरवन में समुदाय विशेष के लोगों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के पद पर पदस्थापना में अनियमितता होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(15) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम रमटा में एक महिला की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर की कई कालोनियों में नलजल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार सहायकों की भर्ती में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भोपाल के समीप सतलापुर स्थित रावत फूड्स फैक्ट्री द्वारा कृषकों की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री मूलसिंह (दादा भाई), प्रियव्रत सिंह, सदस्य, गुना जिले में जंगली जानवरों द्वारा फसल को क्षति पहुंचाई जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम डालूपुरा के पास विद्युत तार टूटे होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री शिवनारायण जागीरदार, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री बृजमोहन धूत, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पंचम् प्रतिवेदन (द्वादश विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन (त्रयोदश विधान सभा) सदन में प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, सदस्य, मन्दसौर जिले की गरोठ तहसील के ग्राम चापल्याखेड़ी कोर्टडी, आंकली एवं आनंदीपुरा आदि ग्रामों में निवासरत चमार बंजारा जाति के व्यक्तियों को राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने, तथा

(2) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, पन्ना जिले को केन नदी से पानी सप्लाई किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घन्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या -17	सहकारिता
		मांग संख्या -20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
1 घन्टा 30 मि.	(2)	मांग संख्या -8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
		मांग संख्या -9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या -35	पुनर्वास
		मांग संख्या -58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.
2 घन्टे	(3)	मांग संख्या -3	पुलिस
		मांग संख्या -4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या -39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.
1 घन्टे	(5)	मांग संख्या -55	महिला एवं बाल विकास

7. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री बृजमोहन धूत, मोहन शर्मा , सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देश में लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनाव एक साथ करवाये जायें जिससे समय एवं धन की बर्बादी को बचाया जा सके".

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि भू-राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 का परिपत्र (एक) अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता में प्राकृतिक आपदा अंतर्गत सूखे से होने वाली फसल हानि के लिए एवं सूखे के कारण फसल नहीं बो पाने को भी फसल हानि मान्य कर वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के समान रकबे के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जावे एवं खण्ड 6-4 (पांच) के अंतर्गत नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, आकाशीय बिजली गिरने एवं आग की तरह बिजली के करंट से मरने वाले व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता स्वीकृति का प्रावधान किया जावे".

(3) सर्वश्री मोतीलाल तिवारी, लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रीवा-भोपाल रेवांचल एक्सप्रेस में वातानुकूलित (ए.सी.) श्रेणी 2 व 3 की एक-एक बोगी तथा शयनयान श्रेणी की एक बोगी स्थायी रूप से जोड़ी जाये".

(4) श्री रत्नेश सालोमन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस जो सप्ताह में एक दिन चलती है, इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाये".

(5) सर्वश्री आरिफ अकील, शिवनारायण मीणा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30मि. "सदन का यह मत है कि शहरों में फैल रहे प्रदूषण पर नियंत्रण करने की दृष्टि से वाहनों के डिस्पोजल की समय सीमा निर्धारित की जावे".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 18 मार्च, 2010